राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार सेडवा, जिला बाडमेर

राजस्व मुकमदमा सं. 07/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
सरकार जरिये पटवारी गोहड का तला		श्री कबदान पुत्र खमाणदान जाति चारण नि. सैयद मौज अली का तला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

<u>आदेश</u>

निर्णय दिनांक 27.08.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **गोहड का तला** ने रिर्पोट प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि ग्राम **सैयद मौज अली का तला** के खसरा सं. **240/102** रकबा **0.01** बीघा किस्म **गै.मु.गोचर** भूमि पर अवैध रूप से काश्त/कब्जा कर अतिक्मण करने बाबत रिपोर्ट पेष की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी से बाद तामिल/अदम तामिल प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी उपस्थित हुआ लेकिन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बाबत अपने पक्ष /स्वामित्व के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किये। अतः हल्का पटवारी की रिर्पोट अनुसार अप्रार्थी को राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा/काष्त करने पर रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेष दिये जाते है एव उक्त आराजी पर अवेध कब्जा/काष्त करने पर बतौर शास्ति के वार्षिक लगान **0.05 का 50 गुणा अनुसार रूपये 01/–** अक्षरे :– **एक रूपये** जुर्माना आरोपित किया जाता है भू.अभिलेख निरीक्षक हल्का **बींजासर** को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त भूमि पर गैर सायल का नाजायज कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर मांग कायमी हेतु हल्का पटवारी **गौहड का तला** एवं तहसील राजस्व लेखाकार को सूचित हो पत्रावली बाद आदेश की पालना होकर दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक **27.08.2020** का सरे इजलास लिखकर सुनाया गया

न्यायालय तहसीलदार, सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prithviraj Parmar
Date: 2024.08.06 10:40:17
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सेडवा